संख्या–1264/ III–2/05–47(सा0)/03–टी.सी.

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 12 अगस्त, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में 09(नौ) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–4047/24(36)याता0–30/05 दिनांक 10.06.05 एवं सं0–1821/14 याता0–05 दिनांक 29.08.2005 तथा शासनादेश सं0– 91लो0नि01/04–47(सामान्य)/03टी0सी0 दिनांक 17.02.2004 द्वारा क्रमांक सं0–2 व 3 पर उल्लिखित स्वीकृत दो कार्यों पौड़ी गढ़वाल में ऐता–उमरैला–चरेक मोटर मार्ग का निर्माण तथा ऐता–उमरैला –हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कुल लागत रू0 188.00 लाख को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 09(नौ) कार्यों के रू0 172.62 लाख की लागत के आगणनों पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 170.40 लाख (रू0 एक करोड़ सत्तर लाख चालीस हजार मात्र) की लागत के आगणनों को उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रत्येक कार्य हेतु रूपये 0.25 लाख की दर से 9 कार्यों हेतु अर्थात कुल रू0 2.25 लाख (रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जायें तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्ध सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृती के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।
7. आगनन मे जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद मे किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।
8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12/9/05

9. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता एवं कब्जा सुनिश्चित कर लिया जायेगा, अन्यथा उस योजना के लिए धनराशि का आहरण नही किया जायेगा जिसके लिये उपरोक्तानुसार सुनिश्चितता न हो जाए। इसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध करा दी जायेगी।

11. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लो0नि0वि0 के बजट के अथवा अन्य विभागीय बजट से धनराशि स्वीकृत कि जा चुकी हो तो उस उक्त योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आगणन करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायगी।

12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय । स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य करते समय टैण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन किया जायेगा।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

14. इस कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेo शी0-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03राज्य सैक्टर-02 नयानिर्माण कार्य-26-वृहत निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.1218/XXVII/(3)/2005 दिनांक 10 अगस्त, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- 07 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

संख्या- 1264 (1)/III-2/05,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/ देहरादून।
2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3- जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, पौड़ी।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5- मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.) लोक निर्माण विभाग,पौड़ी ।
6- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।
7- संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरांचल।
8- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।